(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हरदयालसिंह वगैरा बनाम अवतारसिंह व स्टेट
अपील प्रकरण सं0 88/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
22.12.16	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित । अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट को सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया जावे। अपील से संबंधित अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 24–01–17 को पेश हो।	N.I. withdrawn 3329-30 26.12.16
24.01.17 (N.I. withdrawn 249 24.01.17)	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी प्रशा. कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 27.02.17 को पेश हो।	अप्रार्थी सं० 1 का नोटिस अदमतामील 4 सं 2 का नोटिस बाद तामील प्राप्त
27.02.17	अभिभाषक उभय पक्ष उप०। अप्रार्थी सं० 01 की ओर से श्री गुरविन्द्र सिंह सिद्धू, Adv. ने वकालतनामा पेश किया, शा० मिसल की रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 17.03.17 को पेश हो।	
17.3.17	अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। रेकार्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 21.3.17 को पेश हो।	
21.3.17	अभिभाषक उभय पक्ष उप०। रेकार्ड प्राप्त होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते बहस दि० 17.4.17 को पेश हो।	
17.4.17	अभिभाषक उभय पक्ष उप०। बहस के लिए समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दि० 25.4.17 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

Diary No. Continuation Note Sheet 2016 अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) Gen. No 13 2

15.5.17 बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी प्रशा. कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 23.5.17 को पेश हो।

23.5.17 अभिभाषक उभय पक्ष उप०। बहस हेतु समय चाहा। पत्रावली वास्ते बहस दि० 26.5.17 को पेश हो।

26.5.17 अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। वकील अपीलांट ने बहस के लिए समय चाहा तथा निवेदन किया कि आगामी पेशी पर हरसंभव बहस कर देंगे। अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30.5.17 को पेश हो।

30.05.17 अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में कहा है कि अपील मीमो ही उसकी बहस है।

वकील रेस्पोंडेंट ने अपनी बहस में कहा है कि तहसीलदार, रायसिंहनगर द्वारा वसीयत पुनर्वालोकन प्रार्थना पत्र संख्या 33/2016 में दिनांक 10.10.2016 को किये गये निर्णय को निरस्त किया जाकर निर्णय से पूर्व की स्थिति बहाल रखी गई है, जिसके द्वारा अपीलाधीन आदेश क्रमांक 5960 दिनांक 06.12.2016 द्वारा पटवारी हल्का 16 पीएस को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट हेतु लिखा गया है। प्रस्तुत प्रकरण में वसीयतकर्त्ता अमर सिंह द्वारा दो वसीयत की गई है। पहली वसीयत दिनांक 06.03.1987 को जो नोटेरी से तस्दीक है तथा दूसरी वसीयत दिनांक 19.12.1991 उप पंजीयक जलन्धर से पंजीबद्ध है। वकील रेस्पोडेंट का कथन है कि दिनांक 19.12.1991 को की गई वसीयत में पहली वसीयत को निरस्त करने का अंकन किया गया है। अपील सं० 19/17 उप तहसीलदार, मुकलावा के आदेश दिनांक 13–2–17 के खिलाफ पेश की गई है, जिसमें दिनांक 20–12–91 की वसीयत के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित किये गए हैं। वकील रेस्पो० का यह भी कथन है कि उप तहसीलदार, मुकलावा द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया गया है। चूंकि अपील सं० 19/17 में पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 19–12–91 के आधार पर निर्णय पारित किया गया है इसलिए हस्तगत अपील प्रकरण को इसी स्टेज पर खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख से स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता अमरसिंह द्वारा दिनांक 19–12–91 को उप पंजीयक, जालन्धर से पंजीबद्ध वसीयत कराई गई थी तथा इससे पूर्व की गई वसीयत दिनांक 6–3–87 को निरस्त किया जाना अंकित है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner

Gen. No. 13

Diary No.

Continuation Note Sheet

अपीलांट हरदयालसिंह द्वारा पूर्व में दिनांक 6–3–87 की वसीयत पेश कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाकर प्रकरण सं0 33/16 में दिनांक 10–10–16 को निर्णय करवा लिया गया जिसे तहसीलदार, रायसिंहनगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 6–12–16 से निरस्त कर पूर्व की स्थिति बहाल रखी गई है। हस्तगत अपील के माध्यम से अपीलांट का केवल यही तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपील सं0 19/17 जिसमें उप तहसीलदार, मुकलावा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–2–17 को पारित किया गया है, में पक्षकारों की विधिवत् सुनवाई की जाकर गुणदोष के आधार पर निर्णय पारित किया जाना है। अतः ऐसी स्थिति में अपील सं0 88/16 सारहीन होने से इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। आदेशिका की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

पत्रावली निर्णित दर्शित कर, नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील अभिलेखागार में जमा कराई जावे। आदेश सुनाया गया।

30/5/17

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner